18/3/25 पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील की उप. पार की आंशिक स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखकर शामिल किया गया। डिक्री जारी हो। नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया।

GCMS 2023/11

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.21 14:37:42 IST
Reason: SelfAttested

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर(राज0)

(पीठासीन अधिकारी–सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.–29/2023 (GCMS No. 2023/11) दायर दिनांक 08.02.2023

–:: अनवान ::–

1.रजीराम पुत्र भादरराम जाति कुम्हार निवासी बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–वादी

बनाम

1.हनुमान पुत्र पेमाराम जाति कुम्हार निवासी बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

2.सरपंच ग्राम पंचायत 6 D.W.M. पंचायत समिति सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

3.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

–प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188,209 राज0काश्तकारी अधिनियम–1955

उपस्थितः–1.शिशपाल शर्मा अभिभाषक वादी

–:: निर्णय ::– दिनांक :–18 मार्च 2025

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। बहस सुनी गई। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी के नाम से चक 2 बी0एम0एम0 की जमाबंदी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता नं. 72/49 के पत्थर नं. 217/19 (61) के किला नं. 3–4 की 0.506 हैक्टर, 5/2 में 0.087 हैक्टर, 5/3 में 0.013 हैक्टर, 6 ता 8 की 0.759 हैक्टर, 14 ता 17 की 1.012 हैक्टर, 20 ता 25 की 1.265 हैक्टर इस प्रकार कुल 3.895 हैक्टर अ0क0 मय खाला रकबा खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का जैर प्रकरण खातेदारी रकबा जो पत्थर नं. 217/19 में स्थित है। इस रकबा के पूर्वी पासा का पत्थर नं. 217/27 के किला नं. 1 ता 25 का रकबा आबादी भूमि के पास स्थित है। वादी ने अपने खातेदारी रकबा पर आवंटन से उसी स्थान पर काबिज है जहां पर उसे निशानदेही दी थी। वादी पि[illegible] 40 वर्षो से काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। इस रकबा को वादी ने सुधार कर काबिज काश्त [illegible] ट्यूबवैल लगा है। जिससे सिंचाई कर नहरी फसल से बिजान्त कर अपने परिवार का [illegible] रहा है। आबादी से चिपता किला नं. 5–6–15–16–25 में वादी का मौका पर फसल सरासें की बि[illegible]त है । वादी का आबादी भूमि के पत्थर नं. 217/27 के रकबा पर कब्जा नही है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 वादी के खातेदारी रकबा को आबादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.21 14:37:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

का रकबा मानकर जबरन कब्जा करने की फिराक में है। प्रतिवादी संख्या 1—2 जबरन कब्जा करना चाहते है। जबरदस्ती कब्जा करने की धमकी दे रहें है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी की जावे। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किये जाने के आदेश पारित किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बावजुद पंजीकृत समन प्रेषित करने के उपस्थित नही आने पर दिनांक 09.01.2024 को एकतरफा कार्यवाही की गई। इसके पश्चात् वाद पत्र में दिनांक 11.06.2024 को निम्न तनकीयात कायम की गई :—

1. आया चक 2 बी.एम.एम. के पत्थर नं. 217/19 के किला नं. 3 ता 8, 14 ता 17, 20 ता 25 के 3.895 हैक्टर रकबा का वादी खातेदार काश्तकार है तथा वादी अपने खातेदारी रकबा का फसली फायदा उठाने का हकदार है। —वादी
2. आया वादी जैर प्रकरण अपने खातेदारी रकबा के बाबत प्रतिवादीगण के खिलाफ चिरस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का हकदार है कि प्रतिवादी 1 ता 3 वादी के खातेदारी रकबा में किसी तरह की दखलदांजी ना तो स्वयं करें व ना ही किसी अन्य से करवावें। —वादी
3. अन्य अनुतोष

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

उपर्युक्त तनकीयात कायम करने के उपरान्त वादी ने साक्ष्य वादी बयान शपथ पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर जिरह प्रतिवादीगण शून्य होने से साक्ष्यवादी बंद किया जाकर बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र को दोहराते हुए प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 द्वारा उसके खातेदारी रकबा में जबरन दखलदांजी करने से चिरस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई।

तर्क सुनने के बाद तर्को के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक पठन व मनन किया गया। तनकीवार विस्तृत विवेचन निम्न प्रकार से है :

तनकी सं. 1 :— आया चक 2 बी.एम.एम. के पत्थर नं. 217/19 के किला नं. 3 ता 8, 14 ता 17, 20 ता 25 के 3.895 हैक्टर रकबा का वादी खातेदार काश्तकार है तथा वादी अपने खातेदारी रकबा का फसली फायदा उठाने का हकदार है। —वादी

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। तहसील सूरतगढ़ के चक 2 बी0एम0एम0 की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 2073 के खाता संख्या 72/49 के पत्थर नं. 217/19 (61) के किला नं. 3 ता 8, 14 ता 17, 20 ता 25 की कुल 3.895 हैक्टर अ0क0 भूमि (3.882 हैक्टर अ0क0 तथा 0.013 हैक्टर खाला) वादी के नाम से दर्ज है। वादी अपने खातेदारी रकबा का स्वामी है तथा फसल काश्त करने का हकदार है। अतः तनकी संख्या 01 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.21 14:37:42 IST
Reason: SelfAttested

तनकी सं. 2 :— आया वादी जैर प्रकरण अपने खातेदारी रकबा के बाबत प्रतिवादीगण के खिलाफ चिरस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का हकदार है कि प्रतिवादी 1 ता 3 वादी के खातेदारी रकबा में किसी तरह की दखलदांजी ना तो स्वयं करें व ना ही किसी अन्य से करवावें। —वादी

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। तनकी संख्या 01 में अंकित रकबा वादी का खातेदारी रकबा है। जिसमें अन्य किसी को बिना सक्षम आदेश के किसी प्रकार के कब्जा करने या घुसने

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

प्रकरण सं. 29/23 (GCMS No. 2023/11)
अनवान :–रजीराम बनाम हनुमान आदि
अन्तर्गत धारा :–188,209 राज.काश्त.अधिनियम

का अधिकार नही है। प्रतिवादीगण समन के बावजुद भी उपस्थित नही है। अतः उक्त तनकी भी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 3 :– अन्य अनुतोष

वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत करने अपने नाम अंकित खातेदारी रकबा में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलदांजी ना करने हेतु डिक्री चाही गई है। उक्त प्रकरण में यह भी ध्यान रखे जाने योग्य है कि कहीं वादी आबादी भूमि पर काबिज नही है। इसलिये प्रतिवादीगण को उसके खातेदारी रकबा की हद तक घुसने से पाबंद किया जा सकता है। किन्तु यदि वादी आबादी भूमि पर काबिज है तो प्रतिवादी संख्या 3 वादी के खातेदारी रकबा तथा आबादी भूमि का सीमाज्ञान करवा सकता है।

उपरोक्तानुसार तनकी संख्या 1 ता 2 को वादी द्वारा सिद्ध किया जाना था। जो कि वह सिद्ध करने में सफल रहा है। अतः वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

अतः उपर्युक्त विवेचन अनुसार वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाता है। वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1–2 को पाबंद किया जाता है कि वे वादी की खातेदारी भूमि तहसील सूरतगढ़ के चक 2 बी0एम0एम0 की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 2073 के खाता संख्या 72/49 के पत्थर नं. 217/19 (61) के किला नं. 3 ता 8, 14 ता 17, 20 ता 25 की कुल 3.895 हैक्टर अ0क0 भूमि (3.882 हैक्टर अ0क0 तथा 0.013 हैक्टर खाला) में दखलदांजी ना करें व ना ही अन्य से करवायें। यदि कोई खातेदारी भूमि तथा आबादी भूमि की सीमा का विवाद है तो प्रतिवादी संख्या 03 सीमाज्ञान करवाने हेतु स्वतंत्र रहेगा। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सन्दीप कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.21 14:37:42 IST
Reason: SelfAttested

(आदेश 21 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:परचा डिक्री::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

(पीठासीन अधिकारी :–सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.)

–:: अनवान ::–

1. रजीराम पुत्र भादरराम जाति कुम्हार निवासी बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–वादी

बनाम

1. हनुमान पुत्र पेमाराम जाति कुम्हार निवासी बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. सरपंच ग्राम पंचायत 6 D.W.M. पंचायत समिति सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र धारा–188,209 आर.टी.एक्ट मुकदमा नं. 29 वर्ष 2023 (GCMS No. 2023/11) यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री शिशपाल शर्मा के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि:–

'' वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाता है। वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1–2 को पाबंद किया जाता है कि वे वादी की खातेदारी भूमि तहसील सूरतगढ़ के चक 2 बी0एम0एम0 की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 2073 के खाता संख्या 72/49 के पत्थर नं. 217/19 (61) के किला नं. 3 ता 8, 14 ता 17, 20 ता 25 की कुल 3.895 हैक्टर अ0क0 भूमि (3.882 हैक्टर अ0क0 तथा 0.013 हैक्टर खाला) में दखलदांजी ना करें व ना ही अन्य से करवायें। यदि कोई खातेदारी भूमि तथा आबादी भूमि की सीमा का विवाद है तो प्रतिवादी संख्या 03 सीमाज्ञान करवाने हेतु स्वतंत्र रहेगा। ''

नोज......x......मुबलिग...... x......बाबत...... x......खर्चा इस म[illegible]य सूद बशरह......x......फस्दों की पालना..... x.... आज की तारीख से तारीख वसूलया[illegible]

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज [illegible] 18.03.2025 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.21 14:37:42 IST
Reason: SelfAttested

(सन्दीप कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़